यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 2/243/2024 दायर दिनांकः—17/10/2024

जीसीएमएस नं0:— 2024/579 निर्णय दिनांकः— 10/11/2025

वउनवान

1. कैलाशचन्द पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी नकटपुर तहसील कठूमर जिला अलवर

——— सायल

बनाम

1. रमेशचन्द पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहमण निवासी नकटपुर
2. रामावतार पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहमण निवासी नकटपुर
3. सुरेशचन्द पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहमण निवासी नकटपुर
4. मोतीलाल पुत्र गोरधन जाति ब्राहमण निवासी नकटपुर
5. जमनालाल पुत्र गोरधन जाति ब्राहमण निवासी नकटपुर
6. गुडडीदेवी पुत्री बृजमोहन जाति ब्राहमण निवासी नकटपुर तहसील कठूमर जिला अलवर
7. तहसीलदार कठूमर तहसील कठूमर

गैरसायलान

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :— श्री सुभाष चन्द शर्मा — अधिवक्ता सायल

श्री भवानीशंकर शर्मा एडवोकेट— गैरसायल सं0 3

—::निर्णय::—

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम दौलतपुरा का साविक खसरा नम्बर 17 रकवा वीघा 3 विस्वा था जिसमें से हाल खसरा नम्बर 108, 109, 110, 111, 113, 114, 117, 118, 121,122, 123, 143, 144,

उपखण्ड अधिकारी

145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 वाके ग्राम दौलतपुरा से बने है। सायल एंव गैरसायलान आराजी खसरा नम्बर 144, 143 के खातेदार काश्तकार है जो आराजी विवादित आराजी है। साविक खसरा नम्बर 17 रकवा 49 वीघा 3 विस्वा में बन्दोबस्त से पूर्व कोई रास्ता कायम नहीं था तथा ना ही बन्दोबस्त से पूर्व नक्शा (लटठा) में दर्शित था। बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा विना मौके की जांच किए तथा बिना खातेदारान को बताये ही बाला बाला में हाल खसरा नम्बर 143, 144 में होकर नक्शा में रास्ता दर्शाया गया है तथा खसरा नम्बर 145 रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया है जवकि खसरा नम्बर 143 आज भी चाही राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया है जवकि जिसमें होकर भी रास्ता दर्शित किया है जबकि मौके पर कोई रास्ता ना तो पूर्व में रहा है और ना ही आज मौके पर कायम है। गैरसायलान जवरन खसरा नम्बर 144 में होकर रास्ता कायम करने पर अमादा है जवकि बन्दोबस्त विभाग द्वारा खिलाफ कानून व खिलाफ मौका के वक्त बन्दोबस्त जो नक्शा में रास्ता कायम किया है उसे सायल कलमजन कराने का अधिकारी है। गैरसायलान विना किसी हक व अधिकार के जवरन लटठ के बल पर खसरा नम्बर 144 वाके दौलतपुरा में होकर रास्ता कायम कर सायल की खडी फसल को नष्ट कर उसके शांतमय उपयोग एंव उपभोग में व्यवधान पैदा करते है गैरसायलान मना करने से नहीं मान रहे है यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायल तवाह एंव वर्वाद हो जावेगा दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायल को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायल को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

गैरसायल सं0 2 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि साविक खसरा नम्बर 17 रकवा 49 वीघा 3

उपखण्ड अधिकारी

विस्वा में बन्दोबस्त से पूर्व रास्ता कायम था। सायल उक्त रास्ता को दवाकर अपनी आराजी में मिलाना चाहता है। सायल प्रार्थना पत्र की आड में रास्ता को दवाकर अपनी आराजी में मिलाना चाहता है जवकि रास्ता अर्सा दराज से कायम चला आ रहा है गैरसायलान किसी भी प्रकार का रास्ता कायम नहीं करना चाहता है। सायल ने तमाम तथ्य गलत एंव मिथ्या दर्ज कराये है। सायल को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। शेष गैरसायलान बाबजूद रजिस्टर्ड डाक तामील उपस्थित नहीं आये जिनके विरूद्व दिनांक 24.03.2025 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2075 मिलान क्षैत्रफल व नक्शा ट्रेस हाल साविक नक्शा ट्रेस की छाया प्रति वाके ग्राम दौलतपुरा की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

सायल को प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित करना है –

1. **प्रथम दृष्टा केस**
2. **सुविधा का सन्तुलन**
3. **ना पूर्ति होने वाली क्षति**

1. **प्रथम दृष्टा केसः**–हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। वकुलाय फरीकेन की वहस सुनी। अधिवक्ता सायल ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि साविक खसरा नम्बर 17 रकवा 49 वीघा 3 विस्वा में बन्दोबस्त से पूर्व कोई रास्ता कायम नहीं था तथा ना ही बन्दोबस्त से पूर्व नक्शा (लटठा) में दर्शित था। बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा विना मौके की जांच किए तथा बिना खातेदारान को बताये ही बाला बाला में हाल खसरा नम्बर 143, 144 में होकर नक्शा में रास्ता दर्शा दिया तथा खसरा नम्बर 145 रास्ता राजस्व

उपखण्ड अधिकारी

रिकार्ड में दर्ज किया है जवकि खसरा नम्बर 143 आज भी चाही राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया है जबकि मौके पर कोई रास्ता ना तो पूर्व में रहा है और ना ही आज मौके पर कायम है। गैरसायलान जवरन खसरा नम्बर 144 में होकर रास्ता कायम करने पर अमादा है यदि गैरसायलान ने ऐसा कर दिया तो सायल को काफी नुकशान व क्षति होगी। अधिवक्ता गैरसायल सं0 3 ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने जवाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त रास्ता बन्दोबस्त से पूर्व कायम था आज भी कायम है जिस रास्ता को सायल स्वंय दवाकर अपनी आराजी में मिलाना चाहता है तथा प्रार्थना पत्र की आड में रास्ता पर कब्जा करना चाहता है सायल ने तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किया जावे। सायल ने अपने तर्को की पुष्टि में साविक रेवन्यु रिकार्ड पेश किया है। पक्षकारान का विवाद रास्ता का है। रास्ता सैटलमेंण्ट से पूर्व से कायम एंव जारी है या बन्दोबस्त विभाग ने मनमर्जी से राजस्व रिकार्ड में कायम किया है ये तथ्य तो मूल वाद के निस्तारण में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से निर्णीत किया जावेगा सायल ने पत्रावली पर मिलान क्षैत्रफल व पुराना नक्शा पेश किया है साविक नक्शे में रास्ता का अंकन प्रतीत नहीं होता है। गैरसायलान ने खसरा नम्बर 143, 144 वाके ग्राम दौलतपुरा में नया रास्ता कायम कर दिया तो अपार हानि व क्षति सायल को होना संभव है। प्रथम दृष्टा का विन्दु सायल के पक्ष में सावित होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व विद्वान अधिवक्ता की वहस पर मनन करने पर प्रथम दृष्टा केस सायल के पक्ष में सावित है।

2.**सुविधा का सन्तुलनः**– यदि दौराने दावा गैरसायलान ने विवादित आराजी में होकर रास्ता कायम कर लिया तो असुविधा सायल को होना संभव है। गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकशान होता हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में प्रतीत होता है।

3.**ना पूर्ति होने वाली क्षतिः**– साविक रेवन्यु रिकार्ड में विवादित आराजी में होकर रास्ता का अंकन प्रतीत नहीं होता है। रास्ता वावत तथ्य मूल वाद

उपखण्ड अधिकारी
(अलवर) राज०

में मौखिक एंव दस्तावेजी साक्ष्य आने पर तय किया जावेगा यदि गैरसायलान ने विवादित आराजी में होकर रास्ता कायम कर लिया तो अपार हानि सायल को होना संभव है। रास्ता निकालने से वाद वहुलता भी बढेगी। अतः ना पूर्ति होने वाली क्षति भी सायल के पक्ष में प्रतीत होती है।

उपरोक्त तीनों बिन्दु सायल के पक्ष में बखुवी सावित है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र साबित होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य प्रतित होता है।

–:आदेश:–

उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायल के पक्ष में सावित हैं। अतः सायल का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक गैरसायलान को पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 143, 144 वाके ग्राम दौलतपुरा तहसील कठूमर में होकर किसी तरह का रास्ता कायम ना करें। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)